



मुख्यमंत्री ने वदियुत शुल्क संबंधी नयिमों में संशोधन को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वदियुत (शुल्क) नयिम-1970 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बदि

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस नरिणय के बाद वतित वभिग ने इस संबंध में अधसिचन भी जारी कर दी है, जोआगामी 31 अक्टूबर से प्रभावी होगी।
- उल्लेखनीय है का मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व अर्जन वभिगों में महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन करने की घोषणा की थी।
- इस क्रम में वदियुत शुल्क संबंधी प्रक्रियाओं को सरलीकृत कर ऑनलाइन सुवधि दी गई है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं के उपयोग, उपभोग या अन्य को नःशुल्क आपूर्ता के लिये कैंपटवि पावर प्लांट से ऊर्जा उत्पन्न करता है, वह वभिगीय वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण की सुवधि का लाभ ले सकेगा, जिससे व्यवहारी को वभिगीय कार्यालय में उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रस्तुत करने के तीन दविस में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दया जाएगा।
- इसके साथ ही तमिाही की समाप्त के 30 दनों के भीतर त्रैमासिक रटिरन को वभिग की वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी रूप से प्रस्तुत कयि जाने की सुवधि भी प्रदान की गई है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/amendment-in-rajasthan-electricity-rules-1970>